न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 93/2011 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती पार्वती पत्नी श्री किशनलाल मेनारिया, निवासी तालाब के पास चीरवा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती हीरा बाई पत्नी गुलाब जी मेनारिया पिता छगनलाल जी मेनारिया, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती देऊ बाई पत्नी उदयलाल जी मेनारिया पिता छगनलाल जी मेनारिया, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती धापू बाई पत्नी सोहनलाल जी मेनारिया पिता छगनलाल जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती डाली बाई पत्नी अम्बालाल जी मेनारिया पिता छगनलाल जी मेनारिया, निवासी इंटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती केला बाई उर्फ कैलाशी पत्नी राधाकिशन जी मेनारिया पिता छगनलाल जी मेनारिया, निवासी ग्राम चीरवा, तह॰ गिर्वा, जिला उदयपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा. का. अ.
1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा दिनांक
14.10.2015, प्रकरण संख्या 527/2013

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक रे॰सं॰ 1 से 4
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे॰सं॰ 10

———:::———

निर्णय **दिनांक 26–02–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 तथा सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चीरवा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 की ''क'' से ''झ'' तक की भूमि स्थित हैं। इन भूमियों में छगनलाल पिता भेरजी मेनारिया का पूरा अथवा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार विभिन्न खातों में पृथक–पृथक हिस्सा हैं। छगनलाल जी की पत्नी चुन्नीबाई थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके 4 पुत्रियां वादीगण तथा 5 वीं पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 कैलाशी बाई है। छगनलाल जी का निधन 25 वर्ष पूर्व हो चुका है, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 मौजूद हैं, परन्तु सहवन से उक्त भूमि का नामान्तरकरण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम नहीं खोला गया एवं भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व माता श्रीमती चुन्नीबाई के नाम हर एक के 1/6 हिस्से से दर्ज होनी चाहिए थी। उक्त भूमियां श्रीमती चुन्नीबाई ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय कर दी है, जिसे विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था एवं उक्त विक्रय वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के मुकाबले बेअसर होकर शून्य है। उक्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो जाने से वह उक्त भूमियां बेचने को आतुर है। प्रार्थना की कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 03–07–2013 को प्रतिवादी संख्या 1 अपीलान्ट के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रकरण में वादिया द्वारा अपनी साक्ष्य की गयी तथा दिनांक 08–08–2013 को उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दिनांक 13–09–2013 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आदेश 9 नियम 7 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05–10–2015 को खारिज कर दिया तथा दिनांक 14–10–2014 को वादीगण का वाद डिक्री किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14–10–2014 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01–12–2015 को पेश की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा

उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं कानून के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पर सम्मन की कोई तामिल नहीं हुई है, फिर भी तामिल मानकर एकतरफा कार्यवाही कर दी गयी है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट के पास कोई डाकिया लिफाफा लेकर नहीं आया एवं न ही अपीलान्ट को कभी डाकिया ने कहा कि आपके नाम का कोई लिफाफा आया है तथा न ही अपीलान्ट ने कभी लिफाफा लेने से मना किया है। कथित लिफाफे की जांच करायी जानी चाहिए थी तथा इस संबंध में डाकिये की साक्ष्य ली जानी चाहिए थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर जो एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया है वह गलत है। कथित जमीन व मकान पर कब्जा अपीलान्ट व उसके पति का खरीद से व वसीयत के आधार पर 30 सालों से चला आ रहा है तथा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कब्जेयाबी का वाद 12 वर्षो में पेश नहीं किया गया है तथा धारा 63 (1) (4) के अनुसार उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। कब्जेयाबी का दावा लाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाई नहीं होता है। रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे यह साबित हो कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा हो। रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है तथा उनका एक दिन भी कब्जा नहीं रहा है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक

03–07–2013 को पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड अनुसार अपीलान्ट के लिए रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किये जाने के कोई आदेश नहीं हुए हैं, फिर भी रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस किसके आदेश से जारी किये गये हैं, यह पत्रावली के रेकार्ड को देखने से स्पष्ट नहीं होता है। लिफाफे पर लेने से मना करने के पोस्ट मास्टर द्वारा हस्ताक्षर दिनांक 05–05–2012 को किये गये हैं, तद्नुसार मई माह में ही लिफाफा पुनः अधिनस्थ न्यायालय को पहुंच जाना चाहिए था, परन्तु आश्चर्य जनक रूप से प्रकरण दिनांक 03–07–2013 को अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही को अपास्त किये जाने का जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उक्त आवेदन को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05–10–2015 को खारिज कर दिया गया है तथा उसके आधार पर विधिवत तामिल होना माना है।

अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में उक्त तामिल के संबंध में डाकघर से सूचना के अधिकार के तहत लिये गये विभिन्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं, जिसके अवलोकन से उक्त तामिल की विधिकता संदेहास्पद रहती है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अपीलान्ट द्वारा एकतरफा कार्यवाही को अपास्त किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो अधिनस्थ न्यायालय को सम्पत्ति संबंधित मामला होने के कारण उदारता पूर्वक रूख अपनाते हुए उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के अतिक्रमण में यह आदेश पारित किया गया है, जैसाकि अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों ए. आई.आर. 1998 पटना पेज 166, आर.आर.टी. 2004 (2) पेज 1135, आर.आर. टी. 2004 (1) पेज 200, आर.बी.जे. (6) 1999 पेज 92 एवं 2007 (1) डी.एन. जे. (राज0) पेज 258, जिनमें प्रतिस्थापित तामिल का आदेश नहीं होने से तामिल कराया जाना गलत माना है। उपरोक्त सभी न्यायिक नजीरें प्रकरण से सुसंगत हैं।

इस प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा भी न्यायिक नजीर 2010 (2) डी.एन. जे. (राज.) पेज 721 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें तामिल को फर्जी नहीं होना माने जाने पर एकतरफा का आवेदन स्वीकार नहीं किये जाने के तथ्य वर्णित हैं। यहां पर प्रथम दृष्टया रजिस्टर्ड ए.डी. की तामिल संदिग्ध है, तद्नुसार

यह नजीर इस प्रकरण में लागू नहीं होती है। हम प्रथम दृष्टया अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से इस प्रकरण को प्राकृतिक न्याय से ग्रसित पाते हैं तथा सम्पत्ति संबंधित मामलों में दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय किये जाने से नातिकता प्राप्त होती है तथा प्रकरण के सभी तथ्यों पर रोशनी आकर वादकरण का अंतिम निस्तारण होता है। हम यह पाते हैं कि इस प्रकरण में कब्जे संबंधित तथ्यों तथा खातेदारी अधिकारों की मियाद बाबत् तथ्यों की विवचना के भी महत्वपूर्ण बिन्दु अवलंबित हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–10–2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देकर उसका जवाब लेकर प्रकरण में आवश्यकता अनुसार तनकियात कायम कर विधि के अनुसरण में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 25–04–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

गणेश पिता स्वर्गीय गोपा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.) बनाम **गंगा पिता स्वर्गीय गोपा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**112/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....08**.....माह.....**09**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**08**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हुक्मसिंह देवड़ा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कैलाश नागदा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–09–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**08**.....**2017** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।